

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-05/2017 ०९ पटना, दिनांक- 11-07-17

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०)  
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,  
बिहार, पटना।

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णियाँ, सहरसा,  
दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी- पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर (भभुआ),  
गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा,  
जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा,  
दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण,  
वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज।

**विषय:-** मुख्यशीर्ष-3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष-0120-भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना  
शीर्ष से रब्बी मौसम 2017-18 में जिला/पंचायत स्तरीय रब्बी मौसम के फसलों का  
फसल कटनी प्रयोग के आयोजन एवं स्मापदन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹4,17,65,450/-  
(चार करोड़ सतरह लाख पैसठ हजार चार सौ पचास रुपये) का आबंटन।


महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि०  
दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के  
लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति  
प्रदान की जा चुकी है।


- उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय  
किया जा सकता है।
- तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार  
व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष  
02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, समूह शीर्ष-राज्य  
योजना, उप शीर्ष-0120-भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना के अन्तर्गत आवंटित की  
जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040120 है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 48 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक  
(आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना तथा सभी प्रमंडलीय उप निदेशक  
(सांख्यिकी) एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
- राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या  
तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही  
है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट  
उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन  
पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंभन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
8. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
9. आवंटित राशि स्वीकृतादेश संख्या-1294 दिनांक 21.06.2017 के आलोक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत रब्बी मौसम 2017-18 में आयोजित फसल कटनी प्रयोग सम्पादन के निमित्त निमानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय है।


  
बजट सहायक

  
प्रशाखा पदा०

  
सहायक निदेशक

विश्वासभाजन  
  
निदेशक


ज्ञापांक- ०९ दिनांक- 11-07-17  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक

ज्ञापांक- ०९ दिनांक- 11-07-17  
प्रतिलिपि:- 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना एवं  
2. सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक

ज्ञापांक- ०९ दिनांक- 11-07-17  
प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)  
2. उप निदेशक (योजना), उप निदेशक (कृषि) एवं उप निदेशक (प्रकाशन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना  
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड करें।

  
निदेशक

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, 0120-भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040120

क्र. सं.	जिला का नाम	31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन									
		प्राथमिक अभिकर्ताओं पर व्यय की जाने वाली राशि कटनी सुखवन एवं प्रशिक्षण का पारिश्रमिक	मजदूरी, उपकरण एवं स्मार्टफोन उपयोग के लिए	वाहन एवं ईंधन	मानदेय	ASV का बकाया पारिश्रमिक	योग 3+4+5+6+7+8	कार्यालय व्यय (13-01)	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	निदेशालय (मुख्यालय)	-	-	114000	283625	-	397625	136000	533625		
(सांख्यिकी) कार्यालय											
2	पटना	-	-	9450	56725	-	66175	7000	73175		
3	गया	-	-	9450	56725	-	66175	7000	73175		
4	मुंगेर	-	-	9450	56725	-	66175	7000	73175		
5	भागलपुर	-	-	9400	56725	-	66125	7000	73125		
6	पूणियाँ	-	-	9450	56725	-	66175	7000	73175		
7	सहरसा	-	-	9450	56725	-	66175	7000	73175		
8	दरभंगा	-	-	9450	56725	-	66175	7000	73175		
9	मुजफ्फरपुर	-	-	9450	56725	-	66175	7000	73175		
10	सारण	-	-	9450	56725	-	66175	7000	73175		
जिला सांख्यिकी कार्यालय											
11	पटना	322000	1075250	34500	56725	655400	2143875	34500	2178375		
12	नालंदा	249000	849750	30000	56725	-	1185475	30000	1215475		
13	भाजपुर	228000	742500	21000	56725	-	1048225	21000	1069225		
14	बक्सर	142000	481250	16500	56725	-	696475	16500	712975		

*(Handwritten Signature)*

क्र. सं.	जिला का नाम	प्राथमिक अभिकर्ताओं पर व्यय की जाने वाली राशि		वाहन एवं ईंधन	मानदेय	ASV का बकाया पारिश्रमिक	योग 3+4+5+6+7=8	कार्यालय व्यय (13-01)	कुल योग
		कटनी सुखवन एवं प्रशिक्षण का पारिश्रमिक	मजदूरी, उपकरण एवं स्मार्टफोन उपयोग के लिए						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	राहतास	245000	830500	28500	56725	-	1160725	28500	1189225
16	कैमूर (भुआ)	149000	500500	16500	56725	-	722725	16500	739225
17	गया	329000	1102750	36000	56725	-	1524475	36000	1560475
18	जहानाबाद	92000	310750	10500	56725	13600	483575	10500	494075
19	अरवल	65000	220000	7500	56725	-	349225	7500	356725
20	नवादा	187000	629750	21000	56725	-	894475	21000	915475
21	औरंगाबाद	203000	649000	16500	56725	-	925225	16500	941725
22	सारण	323000	1053250	30000	56725	10000	1472975	30000	1502975
23	सिवान	293000	962500	28500	56725	-	1340725	28500	1369225
24	गोपालगंज	233000	756250	21000	56725	-	1066975	21000	1087975
25	मुजफ्फरपुर	385000	1190750	24000	56725	-	1656475	24000	1680475
26	पूर्वी चम्पारण	389000	1292500	40500	56725	-	1778725	40500	1819225
27	पंचप्रण	303000	981750	27000	56725	-	1368475	27000	1395475
28	सीतामढ़ी	250000	827750	25500	56725	-	1159975	25500	1185475
29	शिवहर	52000	184250	7500	56725	-	300475	7500	307975
30	वैशाली	288000	924000	24000	56725	-	1292725	24000	1316725
31	दरभंगा	322000	1034000	27000	56725	-	1439725	27000	1466725
32	मधुबनी	390000	1245750	31500	56725	-	1723975	31500	1755475
33	समस्तीपुर	371000	1185250	30000	56725	-	1642975	30000	1672975

क्र. सं.	जिला का नाम	प्राथमिक अभिकर्ताओं पर व्यय की जाने वाली राशि		वाहन एवं ईंधन	मानदेय	ASV का बकाया पारिश्रमिक	योग 3+4+5+6+7=8	कार्यालय व्यय (13-01)	कुल योग
		कठनी सुखन एवं प्रशिक्षण का पारिश्रमिक	मजदूरी, उपकरण एवं स्मार्टफोन उपयोग के लिए						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	मुंगर	98000	343750	13500	56725	-	511975	13500	525475
35	लखीसराय	80000	277750	10500	56725	-	424975	10500	435475
36	शुआपुरा	54000	198000	9000	56725	-	317725	9000	326725
37	जमुई	153000	503250	15000	56725	-	727975	15000	742975
38	बगूसराय	229000	778250	27000	56725	-	1090975	27000	1117975
39	खगड़िया	122000	393250	10500	56725	-	582475	10500	592975
40	भागलपुर	238000	786500	24000	56725	-	1105225	24000	1129225
41	बांका	185000	599500	16500	56725	700000	1557725	16500	1574225
42	सहरसा	143000	475750	15000	56725	-	690475	15000	705475
43	सुपौल	181000	588500	16500	56725	-	842725	16500	859225
44	मधेपुरा	159000	544500	19500	56725	-	779725	19500	799225
45	पूणिया	241000	778250	21000	56725	-	1096975	21000	1117975
46	किशनगंज	126000	404250	10500	56725	-	597475	10500	607975
47	अररिया	218000	673750	13500	56725	-	961975	13500	975475
48	काटहार	238000	786500	24000	56725	-	1105225	24000	1129225
	कुल योग:-	8275000	27161750	1000000	2949700	1379000	40765450	1000000	41765450

चार करोड़ सतरह लाख पैंसठ हजार चार सौ पचास रुपये मात्र।

  
सहायक निदेशक

  
प्रशाखा पदाधिकारी

  
बजट सहायक

  
निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय